HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous II Bail Application No. 2921/2026

1. Revdilal S/o Banshilal, Aged About 25 Years, R/o Diwaniya, Police Station Budhadeet, District Kota. (At Present Confined In Central Jail Kota).
2. Lekhraj S/o Gangadhar, Aged About 27 Years, R/o Sagahedi, Police Station Budhadeet, District Kota. (At Present Confined In Central Jail Kota).
3. Raghuveer S/o Babulal, Aged About 33 Years, R/o Sagahedi, Police Station Budhadeet, District Kota. (At Present Confined In Central Jail Kota).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Pankaj Kumar Sharma
For Respondent(s) : Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

24/02/2026

प्रार्थीगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना बूढादीत, जिला कोटा ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 120/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह द्वितीय प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्तगण का जमानत का प्रथम प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2026 को निरस्त किया गया था। उनका तर्क है कि प्रकरण में एक माह से अभियोजन पक्ष की कोई साक्ष्य नहीं आई है, जबकि दो बार साक्षीगण को तलब किया जा चुका है। उनका तर्क

है कि प्रार्थी–अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि 22 दिन और बढ़ चुकी है और वे दिनांक 06.10.2025 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रकरण की अन्वीक्षा पूर्ण होने में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकट किया कि प्रार्थी–अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.02.2026 को निरस्त होने के पश्चात् प्रार्थी–अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि 22 दिन बढ़ जाने के अलावा प्रकरण की परिस्थितियों में कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रार्थीगण को जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्यनन किया गया। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 02.02.2026 को प्रार्थी–अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर निरस्त किया गया था, उसके 11 दिन पश्चात् ही बिना किसी आधार के यह दूसरा जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.02.2026 को प्रस्तुत कर दिया है। प्रार्थी–अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि आज तक 22 दिन और बढ़ी है। अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने के पश्चात् प्रकरण की परिस्थितियों में ऐसा कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जा सके। अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /83